रजि. सं: 17903 मुख्यालय: आद्रा

ALL INDIA LOCO RUNNING STAFF ASSOCIATION
Regd. No. 17903
LUCKNOW DIVISION, NORTHERN RAILWAY
Add: Kerakatpur, Lohta, Varanasi (U.P.)- 221106

Santosh Singh Hada
Divisional Secretary

Satish Kumar Singh
Divisional President

आज के परिदृश्य में लोको रनिंग स्टाफ पर पर्यवेक्षकों द्वारा मानसिक दबाव एवं शोषण की पराकाष्ठा

प्रिय लोको रनिंग साथियों,
आप सभी को परिवार सहित होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं!

साथियों, होली का महापर्व हमारे जीवन में रंग और उमंग का संचार करता है। परन्तु, यह होली का पर्व लखनऊ मंडल के साथ- साथ सभी रनिंग स्टाफ के लिए एक चिंता के साथ शुरू हुआ। जिसका कारण लखनऊ मंडल से आए हुए एक अति संवेदनशील वीडियो के कारण था। जिस मामले को पूरे भारतीय रेलवे के कर्मचारी ही नहीं बल्कि पूरे सभ्य समाज की तरफ से बड़ी गंभीरता से लिया गया और सभ्य एवं संवेदनशील लोगों के द्वारा घटना की काफी भर्त्सना भी की गई है।

साथियों, ऐसी घटनाएं किसी एक दिन के कारण उत्पन्न हुई समस्या के कारण अचानक नहीं आती है। बल्कि, ऐसे समस्या कई छोटे छोटे समस्याओं पर विरोध ना करने के कारण बड़े स्वरूप में उत्पन्न होती है। जबकि यह भी कटु सत्य है कि वर्तमान में रनिंग स्टाफ के ऊपर कार्य का बहुत ही दबाव है।

यदि वर्तमान में रनिंग स्टाफ के कार्य के बोझ एवं कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि में हुए दुष्प्रभाव को लिखने का प्रयास किया जाए तो कम से भारतीय रेलवे के G&SR से भी मोटी पुस्तक लिखी जा सकती है। किंतु, वर्तमान घटित घटना के मूल में जाने का प्रयास किया जाए तो त्योहार के समय में यह अवकाश को कंट्रोल करने के कारण उत्पन्न समस्या है। जबकि अवकाश कंट्रोल करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि क्या इस दौरान औसत लीव रिजर्व को ध्यान में रखकर अवकाश को स्वीकृत किया गया है। अगर वास्तविकता की बात किया जाए तो पिछले कई सालों से सामान्य दिनों में भी औसत लीव रिजर्व स्वीकृत नहीं किया गया है। जोकि गाड़ी संचालन के दौरान लगने वाले मानव संख्या को निर्धारित करने एवं प्रबंधन में व्याप्त कमियों के तरफ स्पष्ट इशारा करता है। जिसकी भरपाई केवल और केवल कर्मचारियों के छुट्टी, विश्राम, कॉल बुक समय में कटौती और लगातार रात्रि ड्यूटी में बढ़ोतरी करके कर्मचारी को चुकाना पड़ता है।

वर्तमान में रनिंग स्टाफ के द्वारा समस्याओं पर आवश्यक और उचित विरोध ना करने का मूल कारण है कि उसे नियुक्ति के समय और आम बोल चाल में कुछ बातों को कर्मचारी के मस्तिष्क में बार बार प्रहार की जा रही है जोकि सत्य नहीं है और उदहारण के साथ प्रति उत्तर साथ में है।---

- GR पढ़ लो लेकिन इससे गाड़ी चलती नहीं है;
  यदि GR से काम नहीं होगा तो दुर्घटना की जांच GR के नियम से क्यों? यदि घटित दुर्घटना की जाँच GR से होना है तो रनिंग स्टाफ को ही GR का पालन कराने का संघर्ष करना होगा। क्योंकि इससे रेल यात्रियों और रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जोकि GR-2.11 में लिखित कर्तव्य है।
- GR से काम नहीं हो सकता है क्योंकि GR आपस में ही उलझाया हुआ है;
  मुझे ऐसा कहने वालों से केवल एक प्रश्न है कि क्या वह ऐसे कोई उद्धरण दे सकते है कि वह कौन से ऐसे 2 या अधिक GR के नियमावली है जो आपस में उलझाते है। यदि उनके पास ऐसे उदाहरण है तो उनकी भी यह ड्यूटी बनती है कि ऐसे उदाहरण प्रशासन के सम्मुख रखे और उसे सही कराने का कार्य करें। अर्थात अभी तक ज्ञात ऐसे कोई दो नियम नहीं है।
- ज्यादा बोला मत करो नहीं तो सुपरवाइजर के शिकार हो जाओगे;
  यह बात तो सही है कि ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन अगर गलत बात या तथ्य पर प्रतिक्रिया नहीं देते है या नहीं बोलते है। तो हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का क्या अर्थ है? मनोवैज्ञानिक परीक्षा का मूल उद्देश्य ही है कि दो समान दिखने वाली चीजों को पहचानना और सही के अनुसार कार्य को करना। अतः रनिंग स्टाफ के पास यह ऑप्शन नहीं है कि वह गलत के विरुद्ध विरोध करे या चुपचाप निकले। बल्कि उसके पास एकमात्र ऑप्शन विधिपूर्वक विरोध करने का ही कर्तव्य है। ताकि रेलगाड़ियों का संचालन निर्बाध रूप से सुरक्षित रह सके।
- अरे abnormalities मत लिखो नहीं तो सोने के दौरान परेशान करता है;
  Abnormalities लिखना अति आवश्यक है उदाहरणार्थ यदि आपने सतर्कता आदेश के मामले में इंजीनियरिंग बोर्ड के गलत तरीके से लगने या नहीं लगने की बात नहीं लिखेंगे। तब चीजें सुधरेंगी नहीं और परिणामस्वरूप कोई अन्य गाड़ी मनोवैज्ञानिक भ्रम होने या किसी अन्य कार्य में जुड़े होने के कारण ध्यान भटकने से अधिक गति से निकल सकती है और निकलती भी है। अतः अनियमितता लिखना आवश्यक है यदि आपको बार बार कॉल आता है तो आप उस समस्या को चिन्हित करिए और उसके वैकल्पिक तरीकों के बारे में उन्हें बताइए तथा इस बात का भी विरोध करिए।
- यहां विरोध करने से कुछ नहीं होता है उल्टा तुम्ही को फंसा देंगे; आदि।
  विरोध करना या नहीं करना रनिंग स्टाफ के लिए विकल्प का विषय नहीं है। बल्कि एकल मार्ग है। क्योंकि गलत बात का विधिपूर्वक विरोध ना करना या चिन्हित ना करना या प्रतिक्रिया ना देना एक बड़े दुर्घटना को दावत देता है।

साथियों, 02 फरवरी 2026 को लखनऊ में घटित घटना में वीडियो प्रसारित होने का एक दुष्प्रभाव आप लोगों ने सामने से देखा। जिस संबंध में स्पष्ट रूप से कहना है कि इस वीडियो के वायरल होने का मूल कारण कुछ अति स्वार्थी लोगों के पास मदद के आस में वीडियो का पहुंचना है। जिसके कारण इतना हंगामा पूरे भारतवर्ष में फैल गया।

जबकि यह भी स्पष्ट है कि कार्यस्थल पर या किसी अन्य स्थल पर हो रहे उत्पीड़न/गलत कार्य का वीडियो बनाना और उसे वायरल करना "भारतीय न्याय संहिता 2023" और "रेल सेवक आचरण नियम -1966" के किसी भी प्रावधानों के तहत अपराध या कदाचार नहीं है। जबकि इस संबंध में एक केस के ट्रायल में (संभवतः पटना उच्च न्यायालय) स्वयं न्यायाधीश महोदय कहते है कि वीडियो बनाना या वायरल करना किसी भी नियमावली में अपराध नहीं है और यदि ऐसे साक्ष्य बनेंगे नहीं तो सच्चाई कैसे सामने आएगा।

किंतु, ऐसे मामलों में एक विशेष सावधानी और रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ताकि इस संबंध में आवश्यक दोषी पर कार्यवाही हो और भविष्य में पुनरावृति ना हों। पुनः यह स्पष्ट करना है कि राजेश मीणा को विश्वास में लेकर न्याय दिलाने हेतु कुछ विषैले मानसिकता के लोग बिना सहमति के आम जन मानस के बीच में वह वीडियो प्रसारित किये। जो कि अपराध ना होने के बावजूद रणनीतिकी दोष इस कारण था कि उनका किया गया कृत्य पीड़ित कर्मचारी को न्याय दिलाने के स्थान पर दबाव में लेने वाला साबित होता दिखाई दिया।

यहां मेडिकल मेमो के संबंध में यह कहना भी स्पष्ट है कि मंडल के Sr.DEE(RSO) महोदय के द्वारा प्रत्येक लॉबी को कही भी यह निर्देशित नहीं किया गया था कि G-92 मेमो जारी नहीं करना है। जबकि वीडियो को देखने से स्पष्ट होता है कि कर्मचारी को यह कहा जा रहा है कि Sr.DEE(RSO) महोदय के द्वारा मना किया गया है। जोकि स्पष्ट रूप से अधिकारीगण का नाम लेकर भय व्याप्त करने एवं शोषण करने का प्रमाण है।

इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि जब घटना के तुरंत बाद पीड़ित के द्वारा अपनी बात SC/ST संगठन के पदाधिकारी के समक्ष रखी गई। तब उनके द्वारा विभागीय अधिकारी को वीडियो भेजकर घटना क्रम बताया गया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए G-92 मेमो जारी करने का आदेश दिया गया। जबकि निलंबन के बाद उच्च अधिकारीगण के द्वारा ही निलंबन को वापस लेने का कार्य किया गया।

इस पूरे घटना में सबसे ज्यादा आक्रोशित करने वाला मामला यह है कि सबूत देने के लिए अंतिम रूप से विवश कर्मचारी नग्न होने के बावजूद संबंधित पर्यवेक्षक के द्वारा नाही मना किया गया और नाही ऐसा करने से रोका गया। जबकि इसके बाद भी उनके द्वारा Sr.DEE(RSO) साहब का नाम लेकर G-92 जारी ना करने का झूठा निर्देश सुनाया गया और वीडियो बनाने से मना किया गया। जबकि इसके बाद भी उच्च अधिकारीगण के समक्ष एक भी बार G-92 जारी करने के औचित्य एवं अनिवार्यता के संबंध में सूचना नहीं दी गई। जबकि मेमो संगठन के पदाधिकारी के द्वारा मामले को संज्ञान में लाने के बाद जारी किया गया।

सबक

- प्रत्येक रनिंग कर्मचारियों को अपने कार्य से संबंधित G&SR की ही जानकारी नहीं होनी चाहिए बल्कि कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि, रेल सेवक आचरण नियम, D&AR आदि आवश्यक नियमों को जानने में रुचि रखना;
- रेल संचालन के वह आवश्यक बिंदु जिसे जान बुझकर उल्लंघन कराया जाता है और रनिंग स्टाफ के पास उसका विरोध करने का कोई साक्ष्य नहीं होता है;
- रेल संचालन के वह आवश्यक बिंदु जिन्हें अनजाने में कुछ लोग उल्लंघन कराते है क्योंकि उन्हें स्वयं उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि लंबे समय से गलत प्रक्रिया चली आ रही है;
- कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि में लगातार हो रहे कटौती को पहचानना तथा परिणाम दुष्परिणाम का अवलोकन करना और उसके संबंध में नियमानुसार अपनी मांग को रखना इत्यादि।

मुख्य मांग

- मुख्य क्रू नियंत्रक (CCC) के पदों को वरिष्ठ ड्राफ्टेड क्रू कंट्रोलर के द्वारा भरे जाने चाहिए। ताकि वह अपना 3 वर्ष का समय सीमा पूरा करके स्वयं रेल संचालन करने के लिए ओपन लाइन पर आये और उसे ओपन लाइन पर कार्य करने के वास्तविक समस्याओं का प्रचुर अनुभव रहेगा। बहुधा यह देखा गया है पर्यवेक्षकगण प्रशासन के द्वारा दिये गये निर्देशों को पालन कराने में लग जाते है और उसके समावेशी परिणाम का चिंतन नहीं करता है। जिस कारण ही ऐसे परिणाम उत्पन्न होते है।

अंत में सभी साथियों से यही कहना है कि उपरोक्त घटना किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ घटित नहीं हुई है। वरन, यहाँ पर सम्पूर्ण लोको रनिंग स्टाफ नग्न हुआ है। साथियों, आज यह हमारी अस्मिता, मर्यादा एवं सम्मान पर हमला है। जिसे हम सभी को एकजुट होकर इस विषय पर मंथन करना है और पीड़ित के संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चलना है। ऐसी समस्याएं पदों में आई बेतहासा कमी के कारण उत्पन्न होती है। जिसके परिणामस्वरूप SPAD, ओवर स्पीड, स्वयं तथा परिवार के बीमारियों में भी तनाव में ड्यूटी करने अथवा अनुपस्थित होने के बाद दंडात्मक कार्यवाही जैसी स्थिति बनती है। जोकि संरक्षित रेल संचालन के लिए उचित नहीं है। अतः एकजुट तरीके से रणनीतिनुसार अध्ययन करके भारतीय रेलवे के प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को उठाने तथा रखने का कार्य करें। ताकि समय से न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक: 06.03.2026

मजदूर एकता जिंदाबाद! **रनिंग स्टाफ यूनिटी जिंदाबाद!** **AILRSA जिंदाबाद!**